

कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पत्रांक

/का0ब0वि0प्रा0/2017

दिनांक 30-12-2017

कार्यालय आदेश

मानचित्र स्वीकृति से सम्बंधित वर्तमान में प्रभावी विभिन्न शुल्कों का पुनरीक्षण किया गया है, जो दिनांक 01-01-2018 से प्रभावी होंगे। उक्त शुल्कों का विवरण निम्नवत है :-

क्रम संख्या	शुल्क का विवरण तथा सम्बंधित शासनादेश	प्रस्तावित दर (रु० प्रतिवर्गमी०)
1	अम्बार शुल्क	41/-
2	पर्येवक्षण शुल्क	18/-
3	वाह्य विकास शुल्क	770/-
4	नगरीय विकास प्रभार	165/-
5	आवासीय (300 वर्गमी० तक)	रु०-5/- प्रतिवर्गमी० आच्छादित क्षेत्रफल पर
6	आवासीय (300 मी० से अधिक)	रु०-7.50/- प्रतिवर्गमी० आच्छादित क्षेत्रफल पर
7	व्यवसायिक	रु०-20/- प्रतिवर्गमी० आच्छादित क्षेत्रफल पर
8	गुप हाउसिंग	रु०- 40/- प्रतिवर्गमी० आच्छादित क्षेत्रफल पर
9	तलपट मानचित्र	रु०-1000 प्रति० है०

उक्त दरें दिनांक 01-01-2018 से लागू की जायेगी तथा जिन प्रकरणों में माँग पत्र निर्गत किया जा चुका है, परन्तु निर्धारित अवधि में धनराशि जमा नहीं की गयी है उन प्रकरणों में भी वर्तमान दर लागू रहेगी।

उपाध्यक्ष
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।

प्रतिलिपि 8048 तददिनांक 30/12/17

1. सचिव/मुख्य नगर नियोजक/मानचित्र प्रभारी/सक्षम प्राधिकारी प्रवर्तन को सूचनार्थ।
2. समस्त सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को अनुपालनार्थ।
3. समस्त मानचित्र लिपिक को अनुपालनार्थ।
4. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. गार्ड फाइल हेतु।

उपाध्यक्ष
बरेली विकास प्राधिकरण
बरेली।